

Additional Attachment -2.19

परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण/वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-49

परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलुवा निस्तारण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण से निकलने वाले मलुवा निस्तारण उक्त लीज नवीनीकरण की भूमि में किया जायेगा। अतिरिक्त मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं है।


सहायक महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
रामनगर

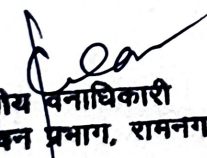

0 मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊ
मण्डल, काठगोदाम।
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम.

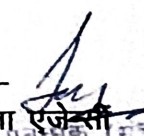
परियोजना का नाम:- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापन/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० वन भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज/वनभूमि हस्तान्तरण।

मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र

क्र०सं०	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढे खुदान, भरण व अन्य कार्य		लागू नहीं	
2	वनस्पतिक चैकडेम का निर्माण			
3	केट वायर चैकडेम का निर्माण			
4	आर.आर. ड्राई का निर्माण			
5	दीवाल/अन्य अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण			
6	उचित प्रजातियों का रोपण योग-			

प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में बस पोर्ट का निर्माण किया जाना है। जिसके उपरान्त जो भी मलवा उत्सृजित होगा उसका उपयोग प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भूमि को समतल करने में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण में कोई भी मलवा अवशेष नहीं रहेगा।


प्रगागीय वनाधिकारी
 रामनगर वन प्रभाग, रामनगर
 ह०/-
 प्रगागीय वनाधिकारी

ह०/- 
प्रयोक्ता एजेन्सी
 उत्तराखण्ड परिवहन निगम
 काठगोदाम